हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंजः पं0 जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार , मो. 98290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष,मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो.9166494225

अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई .के . योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक -पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
पदोन्नति में आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक

दिनांक : 05.05.2013

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

प्रदेशस्तरीय कार्यशाला जयपुर दिनांक 05.05.2013 में प्रस्तुत

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ।
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ।।

परमादरणीय संरक्षकगण, विशिष्ठ अतिथिगण एवं साथियों। आप सभी का समता आन्दोलन की इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में स्वागत है,अभिनन्दन है।

साथियों 11 मई, 2008 से शुरू हुआ समता आन्दोलन आप सभी के सहयोग से केवल पांच वर्ष की अल्प अवधि में पूरे भारत वर्ष का सबसे बडा एवं सबसे सशक्त संगठन बन चुका है । आज हमारे संगठन के पदाधिकारी राजस्थान प्रदेश के सातों संभागों में, सभी 33 जिलों में, 244 तहसीलों में तथा प्रदेश की कुल 9177 ग्राम पंचायतों में से कुल 2158 ग्राम पंचायतों में सक्रिय रूप से समतावादी विचारधारा के प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहे है । राजस्थान प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तराखण्ड, चण्डीगढ, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं छत्तीसगढ में भी हमारे संगठन के पदाधिकारी अपना अभियान चला रहे है। जिस संकल्प और योजनाबद्ध तरीके से हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक अपना आकार और आधार बढाता जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यह संगठन भारत वर्ष को विश्व का सिरमौर बना देने वाला संगठन साबित होगा।

किसी भी संगठन की सफलता के तीन सूत्र है:-

1. VISION
2. PLANNING
3. EXECUTION

आप सभी यह अनुभव कर सकते है कि हमारा संगठन प्रत्येक कार्य क्षेत्र में इन तीनों सूत्रों को पूरी तरह अंगिकार करके चल रहा है । हमने सबसे पहले राजकीय सेवाओ में पदोन्नति में जातिगत आरक्षण का मुद्‌दा हाथ में लिया, उसे समाप्त कराने का संकल्प लिया, एक कार्य योजना तैयार की और उसकी कियान्विति में पूरी शक्ति से लगे हुये है । आप सब की सक्रियता और सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थिति बन गई है कि 65 वर्ष के इतिहास में पहली बार केन्द्र सरकार को आरक्षण के मुद्‌दे पर संविधान संशोधन करने के लिए जूझना पड रहा है और हमारी सशक्त योजनाबद्ध कार्यवाहियो से ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि राज्य सभा में जिन दलों या सांसदों ने पदोन्नति में आरक्षण संबंधि इस 117वें संविधान संशोधन का साथ दिया वो अब अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपनी गलती का अहसास कर रहे है ।

(लगातार --- 2)

ईश्वर की कृपा और आप सभी का साथ रहा तो यह सुनिश्चित मान कर चलिये कि लोक सभा में इस संविधान संशोधन के पारित होने की संभावनाएँ समाप्त हो जायेगी । इस मुद्दे पर हम सभी प्रकार के विधिक, सामाजिक और राजनैतिक मोर्चो पर सशक्त संघर्ष कर रहे है । इस क्रम में मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। आप जानते है कि हमारी संसद में पदोन्नति में आरक्षण संबंधी 117वां संविधान संशोधन विधेयक लम्बित है। हम सब जानते है कि संविधान संशोधन को रूकवाना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है । लेकिन समता आन्दोलन ने इस अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक संविधान संशोधन को रूकवाने के लिए सुनियोजित अभियान चलाकर अभूतपूर्व प्रयास किये है । हमने हमारे 789 सांसदों को एक के बाद एक करके कुल 11 पत्र लिखे है, जिनसे उन्हें पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था के अन्यायपूर्ण प्रभावों की जानकारी दी गयी । उन्हें साधारण भाषा में यह बतलाया गया कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था असंवैधानिक होने के साथ ही वास्तविक दलितों व पिछडों के साथ विश्वासघात है, समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है, नक्सलवाद को बढाने वाली है, राज्य प्रशासन एवं देश को विखण्डित करके जातिगत संघर्ष की ओर ले जाने वाली है, जातिवाद बढाने वाली है, पिछडों एवं दलितों के बडे वर्ग को सैंकडों वर्षो तक पिछडा व दलित ही बनाये रखने वाली है ।

माननीय सांसदों को हमारे सम्मानित संरक्षक जस्टिस पानाचंद जैन के राष्ट्रदूत अखबार में प्रकाशित सम्पादकीय आलेख की प्रतियॉ भेजकर बतलाया गया कि 117वां संविधान संशोधन विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक होने के साथ ही संविधान के मूल ढांचे को भी छिन्न–भिन्न करने वाला है । इसी क्रम में आप सभी के सहयोग से 19 अगस्त 2012 को दिल्ली में संसद मार्ग पर एतिहासिक धरना आयोजित किया गया, 20 अगस्त 2012 को जयपुर में प्रार्थना यज्ञ का आयोजन किया गया, 22 अगस्त 2012 को राजस्थान बंद और सामूहिक अवकाश का आयोजन किया गया, 05 सितम्बर, 2012 को जिला एवं तहसील स्तर पर केन्द्रीय मंत्रीमंडल के पुतले जलाये गये, 06 मई, 2012 को राजस्थान के सभी 25 सांसदों के घरों पर धरना प्रदर्शन किया गया, 17 दिसम्बर, 2012 को काली पट्टी और पेन डाउन स्ट्राइक के जरिये विरोध प्रदर्शन किया गया और 12 जनवरी 2013 को उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर देने वाले देश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को जयपुर आमंत्रित करके विराट जनसमुदाय के समक्ष भव्य स्वागत किया गया । इन सभी प्रयासों का प्रभाव यह है कि आज सभी सांसद दिल से यह मानते है कि पदोन्नति में आरक्षण अन्यायपूर्ण व असंवैधानिक है । सभी राजनैतिक दल इस मुद्दे पर राजनैतिक तौर पर नफे–नुकसान की गणना करने को मजबूर है तथा संसद और सांसद पहली बार इस मुद्दे पर खुले तौर पर बटे हुये नजर आ रहे है । हमने इस असंवैधानिक संविधान संशोधन को रूकवाने के लिए तथा इसे पार्टी व्हिप के आधार पर पारित कराने से रोकने के लिए लोक सभा एवं राज्य सभा की याचिका समितियों के समक्ष गम्भीर संवैधानिक एवं वैधानिक आधारों पर याचिका प्रस्तुत की है, जिनका निस्तारण करना इन याचिका समितियों के गले की फांस बना हुआ है । इसी प्रकार हमने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करते हुये कहा कि संविधान संशोधन के लिए कोई राजनैतिक दल "व्हिप" जारी नहीं कर सकता है । हमारे तर्कों एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देश का कानून मानते हुये भी दिल्ली हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर हमारी याचिका को खारिज कर दिया लेकिन हम अगले सप्ताह में इस निर्णय के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर कर रहे है जिससे पूरे देश को दिशा देने वाला निर्णय आने की पूरी उम्मीद है । (लगातार–– 3)

साथियों समता आन्दोलन द्वारा समतावादी विचारधारा के साथ जो न्यायपूर्ण संघर्ष किया जा रहा है, उसका स्तर और गंभीरता आप समझ सकते है लेकिन प्रजातंत्र में कोई भी संघर्ष प्रजा या जनता जनार्दन को जोडे बिना सफल नहीं हो सकता । हम यह अच्छी तरह जानते है कि आज तक आरक्षण के मामले में न्यायपालिका का कोई भी निर्णय केवल इसलिये कियान्वित नहीं हो सका है क्योंकि उससे जनता अपना जुडाव प्रदर्शित नहीं कर पाई । इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जनता को जोडते हुये चल रहे है और अनेक बार उसका प्रदर्शन भी कर चुके है । आप सभी से हमारी अपेक्षा है कि कृपया प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जन साधारण के सहयोग व जुडाव की महत्ता को गम्भीरता को समझते हुये समता आन्दोलन के संगठन की जडे इस प्रदेश के घर–घर में पहुंचाने का पुरजोर प्रयास करें । अभी इस राज्य की 244 तहसीलों में हमारे पदाधिकारी है जिन्हें इतना कियाशील होना है कि प्रदेश की कुल 9177 ग्राम पंचायतो से दो–दो व्यक्ति साथ लेकर अपनी तहसील कार्यकारिणी तत्काल पूरी करें । हम विगत अप्रेल 2013 में ग्राम पंचायत स्तर के कुल 18000 पदाधिकारियों का एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने वाले थे, लेकिन अभी तक हम यह कार्यशाला आयोजित नहीं कर पाये है। इस कार्यशाला को जल्द से जल्द सम्पन्न करवाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। इस कार्यशाला को यदि आप लोग दिन–रात मेहनत करके जून माह में सम्पन्न करवा देते है तो आप यह निश्चित मान कर चले कि आने वाली कोई भी सरकार राजस्थान राज्य में पदोन्नति में आरक्षण के नाम पर किसी से भी अन्याय नहीं कर सकेगी। इस कार्यशाला के दो महीने बाद हम बूथ लेवल के 5–5 पदाधिकारियों का सम्मेलन सम्भागवार या जिलेवार करना चाहते है । राजस्थान राज्य में कुल 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 43000 मतदान केन्द्र है जो औसतन 1000 मतदाताओं पर अर्थात 350 घरों/परिवारों पर एक मतदान केन्द्र के हिसाब से है । यदि आप सभी के सहयोग से अगस्त 2013 से पहले प्रत्येक बूथ लेवल के 5–5 पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाकर इनकी जिला स्तर पर या संभाग स्तर पर कार्यशाला सम्पन्न हो जाती है तो आप यह सुनिश्चित मान कर चले कि राज्य के सभी राजनैतिक दल अपने आगामी चुनावी घोषणा पत्रों में उन मुद्दों को शामिल करने के लिए मजबूर हो जायेंगे जिनके लिए हम पिछले पांच वर्षों से संघर्ष कर रहे है ।

साथियों केवल पांच महिने का समय है। हमने अभी परिश्रम नहीं किया तो अगले पांच वर्ष फिर अन्याय सहना होगा । एक–एक दिन महत्वपूर्ण है । करो या मरो की स्थिति है । आप लोग संगठन की निष्ठा और कार्यशैली से आश्वस्त हो चुके है । संगठन का किसी भी राजनैतिक दल के प्रति कोई झुकाव नहीं है । कोई नेता अपना नहीं है । वो सभी नेता व राजनैतिक दल अपने है जो समता की आवाज को सुने । लेकिन साथियों इस संगठन को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना अब केवल और केवल आपके परिश्रम पर निर्भर है । मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह आप इसी आन्दोलन को अपूर्व सहयोग प्रदान करेंगे और उसका परिणाम देखकर भी आप गौरवान्वित महसूस करेंगे । आज के इस आयोजन की सफलता तभी प्रमाणित होगी ।

जय समता

जय भारत